

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा पारषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, एकलव्य भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,
ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर-302017



दूरभाष: 0141-5192261, 5192265

E-mail: leadershiprcse@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/ मॉनिटरिंग//2016-17/ 1843

दिनांक : 17.11.2017

जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय:-SDMC/DDMC/SMC का 80G के तहत पंजीयन बाबत।

संदर्भ :- प्रिविरा/माध्य/मा-स/एसएमसी/2016/112 दिनांक 03.11.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्र के क्रम में लेख है कि जिले के समस्त माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों/मॉडल स्कूलों में SDMC/DDMC/SMC एवं डाईट (जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्रशिक्षण संस्थान) का 80G में पंजीयन होने पर मामाशाहों एवं दानदाताओं द्वारा विकास कोष में अधिकाधिक राशि प्राप्त कर विद्यालय विकास किया जा सकता है। इन माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों का 80G के तहत पंजीयन हेतु संस्थाप्रधानों को निम्नांकित कार्यवाही के लिए निर्देशित करें:-

1. SDMC/DDMC/SMC का PAN(Permanent Account Number) प्राप्त करना।
2. संलग्न 10A, 10G Form को भरना।
3. फर्म के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज
 - विधान (SDMC/DDMC/SMC गठन विभागीय आदेश)
 - SDMC/DDMC/SMC रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र
 - SDMC/DDMC/SMC का Pan Card की छायाप्रति
 - SDMC/DDMC/SMC गठन विद्यालय स्तर की छाया-प्रति
 - SDMC/DDMC/SMC सदस्यों की ID(PAN/DL/VOTER ID CARD)
 - 3 वर्ष के बैंक खाते की जानकारी
4. उपरोक्त के सेट तैयार कर निम्न पते पर जमा करावें-
आयुक्त आयकर(छूट)
3rd फ्लोर, कैलाश टावर, लालकोठी
मेन टॉक रोड, जयपुर।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

(जस्राम चौधरी)
अति.राज्य परियोजना निदेशक
रामाशिप, जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति0 राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
5. उपनिदेशक माध्यमिक शिक्षा, समस्त संभाग।
6. जिला प्रभारी रामाशिप समस्त।
7. उपनिदेशक शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि समस्त संस्थाप्रधानों(मा0/उ0मा0/मॉडल स्कूल/डाईट) को ईमेल द्वारा अवगत करावें।
8. अति0 जिला परियोजना समन्वयक, रामाशिअ, समस्त जिले।
9. कार्यालय प्रति

14/11/17
अति.राज्य परियोजना निदेशक

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-स/एस.एम.सी./2016/112

दिनांक: 03/12/2016

3/11/16

1. समस्त मण्डल उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक - प्रथम/द्वितीय

विषय :- विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन, आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत।

प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांक: प. 21 (16) प्राशि/आयो/एस.एम.सी./2016 पार्ट जयपुर, दिनांक: 19.10.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि विभाग द्वारा सभी राजकीय विद्यालय में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) गठित कर पंजीयन सहकारी समिति अधिनियम 1958 के अन्तर्गत करने के निर्देश जारी किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना में अधिकांश राजकीय विद्यालयों में उक्त समितियों का पंजीयन हो चुका है।

विद्यालयों के विकास हेतु दानदाताओं एवं अन्य संस्थाओं द्वारा चन्दा आदि प्राप्त किया जाता है। इस दान राशि पर आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80जी के तहत छुट प्राप्त करने हेतु सभी विद्यालय विकास समितियों (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समितियों (SDMC) का आयकर अधिनियम की धारा 80जी के तहत आयकर विभाग में पंजीयन कराया जाना आवश्यक है। इस हेतु आयकर विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-A, स्थाई खाता संख्या (PAN) जारी करने हेतु आवेदन पत्र फार्म संख्या 49- A परिशिष्ट- B, फार्म संख्या-10-A Application Form registration of charitable of or religious trust of institution under section 12-A (a) of the income tax Act, 1961-Annexure-c, Form no. 10G-Application for grant of approval or continuance there of to Institution or fund under section 80G (5) (VI) of the Income-Tax Act, 1961 -Annexure-D संलग्न है।

विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80जी (5)(6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत आयकर विभाग में पंजीयन करवाने हेतु निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी है :-


1. जिन विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का सहकारिता विभाग में पंजीयन नहीं हुआ है। तो उन विद्यालयों में तत्काल समिति का पंजीयन सहकारीता विभाग में करवाया जावे।
2. विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80 जी (5) (6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए के अन्तर्गत सभी विद्यालय, विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा

विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयकर विभाग में करावें।

3. सभी विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) की कार्यकारणी की बैठक आयोजित कर समिति के किसी एक पदाधिकारियों को निम्नानुसार कार्य करने हेतु अधिकृत किया जावे :-

- विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) विकास कोष हेतु समिति का बैंक खाता खुलवाने हेतु।
- आयकर कार्यालय में पेन (PAN) कार्ड आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80 जी (5) (6) के अन्तर्गत छूट प्राप्त करने हेतु सैक्शन 12 ए अन्तर्गत सभी विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन आयकर विभाग में 80 जी में छूट बाबत आयकर (छूट), आयकर कार्यालय जयपुर में आवेदन प्रस्तुत करने हेतु।

अतः आपके अधीन संचालित ऐसे राजकीय विद्यालय जिनमें अभी तक विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) का पंजीयन नहीं हुआ है, उन्हें तत्काल पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकारिता विभाग में पंजीयन करवाने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करें। इसके पश्चात् आयकर अधिनियम-1961 की धारा 80 जी एवं 12 ए के तहत छूट प्राप्त करने हेतु उपरोक्तानुसार सभी राजकीय विद्यालयों में कार्यवाही करवाना सुनिश्चित कर सूचना संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को भिजवाते हुए अद्योहस्ताक्षकर्ता को सूचित करे।
संलग्न :- यथोपरी



(बी.एल. स्वर्णकार)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
- त्रिशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
- रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/माध्य/मा-स/एस.एम.सी./2016/114


दिनांक: 04.11.2016

1. समस्त मण्डल उप निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
माध्यमिक - प्रथम/द्वितीय

विषय :- विद्यालय प्रबन्धन समिति (SMC) तथा विद्यालय विकास एवं प्रबन्धन समिति (SDMC) को प्राप्त सहयोग राशि को आयकर अधिनियम 80जी के तहत छूट प्राप्त करने हेतु पंजीयन, आयकर विभाग में पंजीयन करवाने बाबत।


प्रसंग :- संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर का पत्रांक: प. 21 (16) प्राशि/आयो/एस.एम.सी./2016 पार्ट जयपुर, दिनांक: 19.10.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि इस कार्यालय के पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/एस.एम.सी./2016/112 दिनांक : 03.12.2016 में आंशिक संशोधन करते हुए स्पष्ट किया जाता है कि उक्त पत्र क्रमांक : शिविरा/माध्य/मा-स/एस.एम.सी./2016/112 दिनांक :03.12.2016 के स्थान पर क्रमांक :शिविरा/माध्य/ मा-स/एस.एम.सी./2016/112 दिनांक : 03.11.2016 पढ़ा जावें। शेष शर्तें यथावत रहेगी।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, जयपुर को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय, (स्वतंत्र प्रभार) राजस्थान जयपुर।
3. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करावे।
4. रक्षित पत्रावली।


उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर